खंड 4 अंक 11 जून 2022

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

विषयसूची

- जम्मू-कश्मीर की उझ बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजना पर समीक्षा बैठक
- "नदी को आपस में जोड़ने के लिए कार्य बल" की सोलहवीं बैठक
- उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जल संसाधन/ डीडीडब्ल्यूएस और एनएमसीजी के मुद्दों /परियोजनाओं पर संयुक्त समीक्षा -सह-चर्चा
- नये कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना तैयार करने के संबंध में परामर्श बैठक
- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम, तथा अन्य विशेष परियोजनाओं के तहत प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा
- देश में बाढ़ की तैयारी के उपायों और भविष्य की कार्य योजना तथा एजेंडा जो कि एमएचए द्वारा मांगे गए हैं, पर चर्चा करने के लिए समीक्षा बैठक
- गंगा बेसिन के आईआरओ के लिए डीएसएस के विकास हेतु एक दिवसीय कार्यशाला
- "राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर परियोजना की रिलाइनिंग" के लिए विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति की दौरा सह समीक्षा बैठक
- उत्तर कोयल परियोजना के अद्यतन 8वें आरसीई की स्थिति की समीक्षा
- लाभ लागत अनुपात के मौजूदा तरीकों की समीक्षा के लिए गठित कार्यकारी दल की तीसरी बैठक
- परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, राजस्थान का निरीक्षण दौरा
- आईसीआईडी आयोजनों के लिए आयोजन समिति की बैठक
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की पहली बैठक
- ड्रिप चरण-II और चरण-III के के तहत बांध सुरक्षा में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की स्थिति
- तमिलनाडु में ड्रिप चरण II की प्रगति और चेन्नई में एनडीएसए से संबंधित मामलों पर समीक्षा बैठक
- बांध/परियोजना का निरीक्षण/क्षेत्रीय दौरा
- इतिहास- कडाणा जलाशय परियोजना

डॉ. आर . के. गुप्ता
अध्यक्ष, के.ज.आ.

संदेश

यह अत्यंत हर्ष की बात है कि देश के हर ग्रामीण घर तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के अभियान में मंत्रालय के जल जीवन मिशन के तहत 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल-जल कनेक्शन से जोड़ा गया है। इसके अलावा, गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी और हरियाणा ने पहले ही 100% घरेलू कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पंजाब, गुजरात,हिमाचल प्रदेश और बिहार में 90% से अधिक क्षेत्र कवर कर लिया गया है और 'हर घर जल' की स्थिति प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहे हैं।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) का गठन बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का कार्य राज्य स्तरीय बांध सुरक्षा संगठनों और निर्दिष्ट बांधों के मालिकों के साथ बांध सुरक्षा संबंधी डेटा और प्रथाओं के मानकीकरण व संबंधित तकनीकी या प्रबंधकीय सहायता के लिए संबंध स्थापित करना है। इसके अलावा, श्री जे.चंद्रशेखर अय्यर, अध्यक्ष,एनडीएसए और सदस्य (डीएंडआर),के.ज.आ की अध्यक्षता में 19.05.2022 को एनडीएसए की पहली बैठक आयोजित की गई। के.ज.आ के क्षेत्र अधिकारी एनडीएसए के क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बैठक में एनडीएसए के विभिन्न सदस्यों की भूमिकाओं और कार्यों के संबंध में चर्चा की गई। प्राधिकरण का मसौदा ऑर्गनोग्राम प्रस्तुत किया गया, और सदस्यों को प्राधिकरण के व्यय संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बारे में भी अवगत कराया गया।

के.ज.आ को सौंपी गई महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है सिंचाई का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, बाढ़ नियंत्रण और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मूल्यांकन। परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की स्थापना के बाद, स्वीकृति और निवेश मंजूरी के लिए इन पर विचार किया जाता है। इनके अलावा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)से तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के लिए राज्य विद्युत निगमों/विद्युत बोर्डों/निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं की जल विज्ञान, सिविल डिजाइन, अंतर-राज्यीय मुद्दों और नागरिक घटक के लागत पहलुओं के दृष्टिकोण से के.ज.आ में जांच भी की जाती है। जल आपूर्ति योजनाओं के तकनीकी पहलुओं का भी जब कभी उल्लेख किया जाता है तब राज्य सरकारों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। इस संबंध में के.ज.आ के अधिकारियों ने कई परियोजनाओं जैसे-यूएचएल-III एचईपी, हिमाचल प्रदेश; सरदार सरोवर बांध परियोजना, गुजरात; भदभूत बैराज परियोजना, गुजरात; बेरिनियम एचईपी, जम्मू-कश्मीर; लखवार एमपीपी, उत्तराखंड; मुल्ला पेरियार बांध; अन्नामय्या बांध, आंध्रप्रदेश का दौरा/निरीक्षण किया है और उनकी विशेषज्ञ सलाह दी।

के.ज.आ ने ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, बराक और झेलम घाटियों में 01.05.2022 को अपनी नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि शुरू की। इसे 01.06.2022 से पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। माह के दौरान 268 बाढ़ पूर्वानुमान (261 स्तर और 7 अंतर्वाह) जारी किए गए, जिनमें से 263 (258 स्तर और 5 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 98.13% सटीकता की सीमा के भीतर थे ।

वर्गीकृत डेटा रिलीज समिति (सीडीआरसी) की 52वीं बैठक

बैठक की तिथि	06.05.2022
विचार किए गए कुल मामले	23
वाणिज्यिक मामले	01
गैर वाणिज्यिक	22
समिति द्वारा अनुशंसित मामलों की संख्या	17
आस्थगित मामलों की संख्या	05
अस्वीकृत मामलों की संख्या	01

जम्मू-कश्मीर की उझ बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजना पर समीक्षा बैठक

उझ बहुउद्देश्यीय(राष्ट्रीय) परियोजना, जम्मू और कश्मीर की वर्तमान स्थिति और आगे के कार्य की समीक्षा के लिए 13.05.2022 को श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय जलशक्ति मंत्री की अध्यक्षता में और डॉ जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री (पीएमओ) की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,केंद्रीय जल आयोग और जल शक्ति विभाग,जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में उझ बहुउद्देशीय परियोजना के मुद्दों और बाधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

"नदी को आपस में जोड़ने के लिए कार्य बल" की सोलहवीं बैठक

श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और नदी अंतर्योजन कार्य बल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में "नदी अंतर्योजन कार्य बल" की सोलहवीं बैठक 17.05.2022 को श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। के.ज.आ की ओर से, बैठक में अध्यक्ष, के.ज.आ और सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ ने भाग लिया।

• नदी अंतर्योजन कार्य बल ने आईएलआर के एनपीपी के हिस्से के रूप में संशोधित पीकेसी लिंक बनाने और इसको एक प्राथमिक नदी परियोजना घोषित करने के प्रस्ताव को विचार और अनुमोदन के लिए एससीआईएलआर के समक्ष रखने की सिफारिश की।

▪ नदी अंतर्योजन कार्य बल के सदस्यों द्वारा महानदी-गोदावरी को प्राथमिक अंतर्योजन परियोजनाओं में से एक के रूप में विचार करने पर भी चर्चा की गई।

उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जल संसाधन/ डीडीडब्ल्यूएस और एनएमसीजी के मुद्दों/परियोजनाओं पर संयुक्त समीक्षा-सह-चर्चा

डॉ. आर.के. गुप्ता, अध्यक्ष, के.ज.आ. और श्री जे.चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य(डीएंडआर) ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित यूपी राज्य के जल संसाधन /डीडीडब्ल्यूएस (पेयजल और स्वच्छता विभाग) तथा एनएमसीजी (स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन) से संबंधित मुद्दों/ परियोजनाओं पर संयुक्त समीक्षा-सह-चर्चा में भाग लिया।

यात्रा के दौरान माननीय जल शक्ति मंत्री ने उत्तर प्रदेश में डीआरआईपी चरण- II के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन किया और आने वाले ड्रिप चरण-II हेतु संबंधित अधिकारियों को विश्व बैंक और डीईए, एमओएफ, भारत सरकार की तैयारी के मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।

नये कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना तैयार करने के संबंध में परामर्श बैठक

श्री पंकज कुमार, सचिव(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.2022 को एक नये कमान क्षेत्र के विकास और जल प्रबंधन (सीएडीऔरडब्ल्यूएम) योजना के निर्माण पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, नीति आयोग, के.ज.आ (श्री पद्मा दोर्जे ग्याम्बा, मुख्य अभियंता(POMIO) द्वारा प्रतिनिधित्व) और कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, वर्तमान कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना के प्रमुख पहलुओं और प्रस्तावित नई योजना की व्यापक रूपरेखा पर चर्चा की गई। कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना के कार्यों के दायरे के विस्तार के प्रस्ताव को मजबूत करने की दिशा में निम्नलिखित कार्रवाई बिंदुओं की पहचान की गई:

जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन विंग द्वारा सीपीडब्ल्यूडी मानदंडों /दरों की अनुसूची के आधार पर कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के लिए लागत मानदंडों के संशोधन पर एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। अनुशंसित संशोधित लागत मानदंड के आधार पर, एआईबीपी के तहत शामिल की जा रही अतिरिक्त परियोजनाओं के साथ-साथ अन्य पूर्ण/चल रही परियोजनाओं सहित, प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं को शामिल करने के लिए योजना के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता का अनुमान लगाया जा सकता है।

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम में जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल उपयोगकर्ता संघ की क्षमता निर्माण आवश्यक है। केवीके की सेवाओं की खोज करके उनके प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

संशोधित प्रस्ताव में नई परियोजनाओं और प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में उपयुक्त संतुलन बनाने के लिए निधियों के उपयोग के लिए पर्याप्त लचीलापन लाया जा सकता है। इसके अलावा, लाभ बढ़ाने के लिए एआईबीपी और कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के बीच आवश्यकता आधारित निधियों के अंतर-हस्तांतरण के प्रति भी पर्याप्त रूप से लचीलापन का प्रावधान किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में के.ज.आ. क्षेत्रीय कार्यालय के नेतृत्व में एक टीम को कुछ कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन परियोजनाओं का दौरा करने के लिए निर्देशित किया जाए ताकि राज्य सरकार की प्रस्तुतियों का उसी समय पर मूल्यांकन किया जा सके कि किसान कार्यात्मक अनुदान के लिए अपने हिस्से के 10% का भुगतान करने के अनिच्छुक हैं, और इस संबंध में आगे रास्ता सुझाएं।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम, तथा अन्य विशेष परियोजनाओं के तहत प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा

श्री पंकज कुमार, सचिव(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत प्राथमिकता वाली परियोजनाओं और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा वित्त पोषित की जा रही सीएडीडब्ल्यूएम, और अन्य विशेष परियोजनाओं, विशेष रूप से 500 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा करने के लिए 09.05.2022, 10.05.2022 और 13.05.2022 को कई बैठकें आयोजित की गईं। बैठक में सचिव/मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव (जल संसाधन), मुख्य अभियंता और विभिन्न राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय जल आयोग और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

09.05.2022 को महाराष्ट्र में गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के मुद्दों और बाधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा, 10.05.2022 को पंजाब में शापुरकंडी बांध परियोजना और पश्चिम बंगाल में तीस्ता बैराज परियोजना से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

ऋषिगंगा-धौलीगंगा क्षेत्र में निगरानी एवं चेतावनी अवसंरचना की स्थापना के मुद्दों पर बैठक

ऋषिगंगा-धौलीगंगा क्षेत्र में निगरानी एवं चेतावनी अवसंरचना की स्थापना के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 17.05.2022 को श्री पंकज कुमार, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अध्यक्ष (के.ज.आ.), सदस्य (आरएम), निदेशक (एफएफएम), अधीक्षक अभियंता (एचओसी) देहरादून और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) तथा उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

- बैठक में यह चर्चा हुई कि एनटीपीसी पहले से ही क्षेत्र में अपना नेटवर्क स्थापित कर रही है।
- यह निर्णय लिया गया कि एनटीपीसी द्वारा सम्मिलित किए गए क्षेत्र को जरूरत पड़ने पर फिर से मजबूत किया जाएगा।
- बुनियादी ढांचे और चेतावनी तंत्र के मूल्यांकन के लिए यह निर्णय लिया गया कि के.ज.आ, सिंचाई विभाग उत्तराखंड, यूएसडीएमए के अधिकारियों द्वारा साइट का एक संयुक्त दौरा किया जाएगा।

पोलावरम सिंचाई परियोजना की प्रगति पर समीक्षा बैठकें

जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सम्मेलन कक्ष में श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (एमओजेएस) द्वारा पीआईपी के ईसीआरएफ बांध के गैप I और गैप II के खराब हिस्से में मुख्य बांध के निर्माण के मुद्दों की समीक्षा के लिए 17.05.2022 को एक बैठक की गई। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल आयोग और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण(पीपीए), जल संसाधन विभाग (आंध्रप्रदेश सरकार) के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में क्षतिग्रस्त हिस्से की उपचार पद्धति को अंतिम रूप देने और ईसीआरएफ बांध के निर्माण के लिए रोड मैप पर चर्चा की गई।

इसके अलावा, श्री पंकज कुमार, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग), जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 18.05.2022 को पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) की प्रगति और अन्य संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए एक और बैठक भी की गई थी।

देश में बाढ़ की तैयारी के उपायों और भविष्य की कार्य योजना तथा एजेंडा जो कि एमएचए द्वारा मांगे गए हैं, पर चर्चा करने के लिए समीक्षा बैठक

दिनांक 15.06.2021 को माननीय गृह मंत्री द्वारा की गई बैठक के संदर्भ में बाढ़ की तैयारी की समीक्षा और की गई कार्रवाई के संबंध में सचिव (डब्ल्यूआर) की अध्यक्षता में 21.05.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

जून, 2022 में माननीय गृह मंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण से पहले माननीय जलशक्ति मंत्री द्वारा आगे की समीक्षा के लिए पहचाने गए कार्रवाई बिंदुओं पर की गई कार्रवाई के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।

गंगा बेसिन के आईआरओ के लिए डीएसएस के विकास हेतु एक दिवसीय कार्यशाला

गंगा बेसिन के आईआरओ के लिए डीएसएस के विकास के कार्य पर हितधारकों यानी राज्य सरकार के अधिकारियों और परियोजना अधिकारियों को कार्य में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए दिनांक 06.05.2022 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
कार्यशाला का उद्घाटन सदस्य (आरएम) द्वारा किया गया और इसमें मुख्य अभियंता (एफएमओ), निदेशक (एफएफएम), और निदेशक (आरओ), गंगा बेसिन के सभी बाढ़ संकट प्रबंधन टीमों (एफसीएमटी) के सदस्य सचिवों, परियोजना प्राधिकरण और राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया।
कार्यशाला हाइब्रिड मोड यानी भौतिक के साथ-साथ ऑनलाइन भी आयोजित की गई थी।

बांग्लादेश की गंगा-पदमा बैराज परियोजना का संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करने के लिए संयुक्त तकनीकी समिति के भारतीय पक्ष की दूसरी बैठक

सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में गंगा नदी जल बंटवारा संधि, 1996 के प्रावधानों के तहत बांग्लादेश द्वारा प्राप्त किए जा रहे गंगा जल के इष्टतम उपयोग के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन हेतु बांग्लादेश द्वारा फरवरी-2022 में प्रस्तुत की गई संशोधित संदर्भ की शर्तों पर संयुक्त तकनीकी समिति (जेटीसी) के भारतीय पक्ष की दूसरी बैठक 05.05.2022 को हाईब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता सदस्य, डीएंडआर ने की और इसमें जेटीसी के भारतीय पक्ष के सदस्यों के साथ जलशक्ति मंत्रालय, के.ज.आ. एमईए, आईआईटी, रूडकी, वैपकोस और सीडब्ल्यूपीआरएस के सदस्य उपस्थित थे।

जल संसाधन पर स्थायी समिति (2021-2022) का अध्ययन दौरा और समिति ने के.ज.आ के अधिकारियों के साथ चेन्नई में चर्चा में भाग लिया

जल संसाधन पर स्थायी समिति की एक अध्ययन यात्रा 26-28 मई, 2022 तक चेन्नई और अलाप्पुझा में आयोजित की गई थी। श्री आर के गुप्ता, अध्यक्ष, श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), श्री जे.चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डीएंडआर), श्री टी.के.शिवराजन, मुख्य अभियंता (सी एंड एसआरओ) और के.ज.आ. के अन्य अधिकारियों ने तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में भाग लिया।

चेन्नई में बैठक के दौरान के.ज.आ. के साथ चर्चा के लिए उठाए गए विषय हैं:

(i) मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा और जलाशय प्रबंधन के लिए किए गए उपाय,

(ii) हाल के वर्षों में चेन्नई में अचानक आई बाढ़ और बाढ़ नियंत्रण के लिए किए गए उपाय।

(iii) आसपास के राज्यों के साथ कावेरी जल विवाद।

"राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर परियोजना की रिलाइनिंग" के लिए विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति की दौरा सह समीक्षा बैठक

"पंजाब में सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग आरडी 119700 से 447927 फीट तक और राजस्थान फीडर की की रिलाइनिंग आरडी 179000 से 496000 फीट तक" तथा काम पूरा होने तक परियोजना के समग्र कार्यान्वयन का मार्गदर्शन/निगरानी करने और सभी तरीकों से काम की प्रगति की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

पंजाब में सरहिंद फीडर की आरडी 119700 से 447927 फीट तक और राजस्थान फीडर की आरडी 179000 से 496000 फीट तक रिलाइनिंग" करने के संबंध में कार्यों की प्रगति और समीक्षा करने के लिए श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में 12 से 13 मई 2022 तक विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति की तीसरी यात्रा सह समीक्षा बैठक की गई थी।

समिति ने राजस्थान फीडर का आरडी 257000 फीट से आरडी 300000 फीट तक, मुख्य तटबंध विच्छेद स्थल पर आरडी 294400 फीट तक राजस्थान फीडर का और आरडी 238600 फीट तक सरहिंद फीडर का तथा राजस्थान फीडर के आख़िरी छोर का आरडी 49600 फीट तक विशिष्ट श्रृंखलाओं में परियोजना स्थल का दौरा किया।

समिति ने सरहिंद और राजस्थान फीडर दोनों के लिए पिछले बंद के दौरान निर्माणाधीन हिस्से के साथ-साथ पहले से निर्मित हिस्से के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया। समिति ने निर्माण की गुणवत्ता, भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति से संबंधित विभिन्न प्रेक्षण/सिफारिशें आदि की।

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति का राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की साइट का दौरा

कार्यों की प्रगति:

सरहिंद फीडर(एसएफ)			
समग्र भौतिक प्रगति	74% (अप्रैल2022)	किया गया कुल खर्च	रु.490.52 करोड़ (अप्रैल,2022)
		जारी किया गया संचयीसीए	रु.203.651 करोड़ (अप्रैल,2022)

राजस्थान फीडर(आरएफ)			
समग्र भौतिक प्रगति	24% (मार्च, 2022)	किया गया कुल खर्च	रु.359.27 करोड़ (मार्च,2022)
		जारी किया गया संचयीसीए	रु.230.238 करोड़ (मार्च,2022)

पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में एनएचपीसी के साथ बैठक- भौतिकीय तकनीक का उपयोग कर डायफ्राम वॉल स्वास्थ्य मूल्यांकन

सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 30.05.2022 को के.ज.आ, नई दिल्ली में श्री एस. एल. कपिल, कार्यकारी निदेशक, एनएचपीसी और मुख्य अभियंता, डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस), के.ज.आ. के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश के गैप-II पर प्रस्तावित ईसीआरएफ बांध के क्षतिग्रस्त प्लास्टिक कंक्रीट डायाफ्राम दीवार के भूभौतिकीय तकनीकों द्वारा स्वास्थ्य मूल्यांकन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

बैठक के दौरान के.ज.आ. ने गैप-2 में प्लास्टिक कंक्रीट डायफ्राम दीवार के बारे में प्रस्तुति दी। 2019 और 2020 की बाढ़ के दौरान डायाफ्राम की दीवार को हुए नुकसान के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। जांच का उद्देश्य इस प्रकार रखा गया:

(क) इसकी हाइड्रोलिक और संरचनात्मक अखंडता का मूल्यांकन करने के लिए डायाफ्राम दीवार का व्यापक स्वास्थ्य मूल्यांकन और (ख) आगे की कार्रवाई तय करने के लिए क्षति जैसे कि दरारें और खुले पैनल जोड़ों की सीमा और तीव्रता (अर्थात सभी संभावित रिसाव मार्ग) की विस्तृत मैपिंग।

श्री कपिल, कार्यकारी निदेशक (अनुसंधान एवं विकास, जियोटेक), एनएचपीसी ने भूभौतिकीय तकनीकों पर एक प्रस्तुति दी जो एनएचपीसी पर उपलब्ध है। उन्होंने कई मामलों के अध्ययन भी प्रस्तुत की जिनमें एनएचपीसी ने हाई रेजोल्यूशन विद्युत प्रतिरोधकता इमेजिंग, भूकंपीय टोमोग्राफी और भूकंपीय अपवर्तन टोमोग्राफी का इस्तेमाल किया है।

बैठक इस निर्णय के साथ संपन्न हुई कि एनएचपीसी परियोजना स्थल का दौरा करेगी और आवश्यक जांच को अंतिम रूप देगी।

उत्तर कोयल परियोजना के अद्यतन 8वें आरसीई की स्थिति की समीक्षा

उत्तर कोयल जलाशय परियोजना झारखंड के पलामू जिले के सबसे पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में स्थित है।
परियोजना घटक में शामिल हैं:
i) उत्तरी कोयल नदी जो सोन नदी की एक सहायक नदी है पर 67.86 मीटर ऊंचा और 343.33 मीटर लंबा कंक्रीट बांध (मंडल बांध)।
ii) बांध स्थल से 96 किमी नीचे की ओर स्थित मोहम्मदगंज बैराज का शेष कार्य और
iii) बायीं मुख्य नहर (एलएमसी) और दायीं मुख्य नहर (आरएमसी) की उनकी वितरण प्रणाली के साथ मोहम्मदगंज बैराज से निकासी।
इस परियोजना से पलामू, गढ़वा, औरंगाबाद और गया जिला के 1.14 लाख हेक्टेयर सूखा प्रभावित क्षेत्र को सिंचाई के अधीन लाया जाएगा। इसमें पेयजल और औद्योगिक जलापूर्ति के लिए 44 एमसीएम पानी की आपूर्ति का भी प्रावधान है।
इस परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1972 में शुरू किया गया था। नए वन संरक्षण अधिनियम (1980) को सख्ती से लागू करने के कारण 1993 में मंडल बांध का निर्माण रुक गया था। उस समय तक मोहम्मदगंज बैराज का काम पूरा हो चुका था और बांध का, आरएमसी और एलएमसी का काम आंशिक रूप से पूरा हो चुका था। एमओईएफएंडसीसी की आपत्ति के कारण शेष कार्यों को 2016 तक रोक दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप बांध के फाटकों की स्थापना नहीं हुई थी। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना 2017 के लंबे समय से लंबित शेष कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को 2016 पीएल की दर से 1,622.27 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया है।
परियोजना के 7 वें आरसीई को जल संसाधन विभाग की सलाहकार समिति ने 08.07.2019 को आयोजित अपनी 142वीं बैठक में 3042.16 करोड़ रुपये (पीएल 2019) में स्वीकार किया था। मुख्य रूप से श्रम और सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ संरचनाओं (एसएलआर ब्रिज और आउटलेट) और अन्य विविध वस्तुओं के अतिरिक्त प्रावधानों के कारण एक और लागत संशोधन (@PL 2021) की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
इस संबंध में, श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, ने उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (बिहार और झारखंड) के अद्यतन 8वें संशोधित

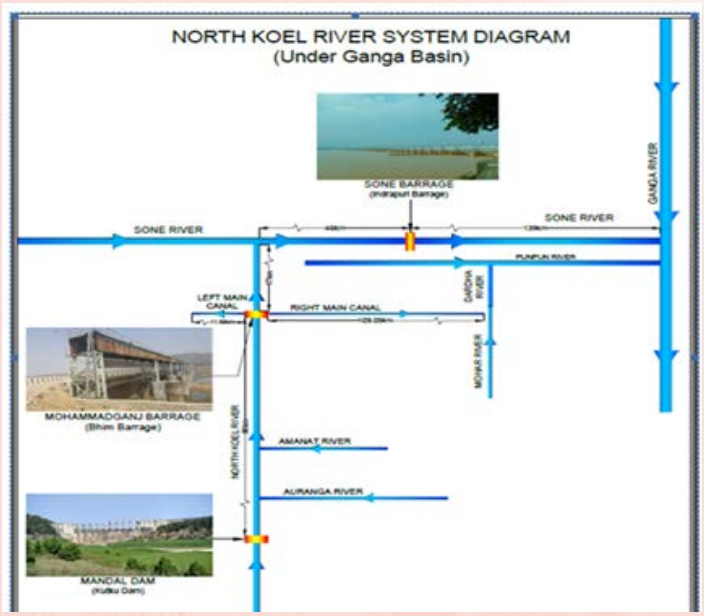

लागत अनुमान (आरसीई) के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए 23.05.2022 को और फिर 27.05.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, जल संसाधन,नदीविकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, के.ज.आ.और वैपकोस के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वाप्कोस ने परियोजना के लागत संशोधन के अद्यतनीकरण की स्थिति से अवगत कराया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. ने जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, के.ज.आ.और वैपकोस के संबंधित अधिकारियों को संशोधित लागत अनुमान कार्य में तेजी लाने और उसे शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। के.ज.आ. के संबंधित अधिकारियों को अंतिम रूप से संशोधित लागत अनुमान के आधार पर लाभ-लागत अनुपात की गणना को तुरंत दृढ़ करने और सहमति के लिए उसे जल संसाधन विभाग, झारखंड और जल संसाधन विभाग, बिहार को अग्रेषित करने तथा परियोजना के लिए टीएसी नोट को दृढ़ करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया जिसे मंजूरी के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति के समक्ष रखा जाना है।

राष्ट्रीय जल अभियान (एनडब्ल्यूएम) के कोर ग्रुप की छठी बैठक के.ज.आ की उपलब्धि

वृहत एवं मध्यम सिंचाई(एमएमआई)परियोजनाओं की जल उपयोग दक्षता (डब्ल्यूयूई) का आकलन करने के लिए आधारभूत अध्ययन पर कोर ग्रुप की छठी बैठक 10.05.2022 को सुश्री देबाश्री मुखर्जी, एएस और एमडी (एनडब्ल्यूएम) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। वाल्मी (औरंगाबाद), वालमतरी (हैदराबाद), नेरीवालम (तेजपुर) और सीडब्ल्यूआरडीएम (कोझिकोड) को शामिल करके उनके डब्ल्यूयूई का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा 26 एमएमआई परियोजनाओं का आधारभूत अध्ययन किया गया है। अध्ययन रिपोर्ट की तकनीकी जांच पोमियो, के.ज.आ. द्वारा की जा रही है। बैठक में कोर ग्रुप ने 12 वृहत एवं मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं (26 में से) के संबंध में अंतिम रिपोर्ट का मसौदा स्वीकार किया, जिसे पोमियो, के.ज.आ. द्वारा जांचा गया था।

पोलावरम सिंचाई परियोजना का दौरा

के.ज.आ. की डिजाइन (एनडब्ल्यूएंडएस) इकाई के अधिकारियों ने 11.05.2022 को पोलावरम बांध स्थल पर चल रहे निर्माण का दौरा किया। दौरे के दौरान, पीपीए, वैपकोस, जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारी भी के.ज.आ. डिजाइन टीम में शामिल हुए। टीम ने स्पिलवे और इसके रेडियल गेट्स का दौरा किया और एप्रोच चैनल के गाइड बंड पर चल रहे कार्यों और स्पिल चैनल के दाहिने किनारे का निरीक्षण किया। टीम ने गैप-I में ईसीआरएफ बांध के नींव सुधार के चल रहे कार्यों का भी दौरा किया और गैप-II के परिशोधित क्षेत्र में डायाफ्राम की दीवार में नुकसान का अवलोकन किया। टीम ने अपस्ट्रीम कॉफर डैम और डाउनस्ट्रीम कॉफर डैम के

कार्यों के निष्पादन का भी निरीक्षण किया। जल संसाधन विभाग, आंध्रप्रदेश सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर एक संक्षिप्त चर्चा के साथ दौरा समाप्त हुआ और कार्यों में तेजी लाने के लिए सुझाव दिए गए।

लाभ लागत अनुपात के मौजूदा तरीकों की समीक्षा के लिए गठित कार्यकारी दल की तीसरी बैठक

सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में जुलाई 2021 में एक कार्य समूह का गठन किया गया था जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के सदस्य शामिल थे। कार्य समूह के लिए संदर्भ की शर्तें हैं:

क) लाभ लागत अनुपात (बीसी अनुपात):

- सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जा रहे लाभ लागत अनुपात के मौजूदा तरीकों की समीक्षा करना तथा उन्हें और अधिक यथार्थवादी एवं तर्कसंगत बनाने के लिए कार्रवाई योग्य सुझावों को स्पष्ट करना।
- कार्यसमूह अप्रत्यक्ष लाभों को व्यापक रूप से शामिल करने के तरीकों का सुझाव भी दे सकता है जो परियोजना के लिए उपार्जित हो सकते हैं, जैसे कि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, उपभोक्ता उद्योग, खुदरा व्यापार,परिवहन, पर्यटन,संचार आदि का विस्तार।

ख) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए लागत संशोधन प्रक्रिया का सरलीकरण, जिसमें कार्यक्षेत्र में परिवर्तन शामिल नहीं है:

- वृहत और मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए लागत के स्वत: संशोधन हेतू एक उपयुक्त तंत्र की सिफारिश करना, बशर्ते परियोजना का दायरा और डिजाइन पहलू समान रहे।

इससे पहले उक्त कार्यसमूह की दो बैठकें क्रमश: 12.08.2021 और 05.04.2022 को आयोजित की गई थीं। कार्यसमूह की तीसरी बैठक दिनांक 30.05.2022 को श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। उन्होंने कार्यसमूह के सदस्यों को ड्राफ्ट रिपोर्ट के बारे में सूचित किया जो पहली व दूसरी बैठक के दौरान विचार-विमर्श के आधार पर तैयार की थी और जिसे विचारों और टिप्पणियों के लिए तीसरी बैठक से पहले सदस्यों के बीच साझा किया गया था। बैठक के दौरान कार्यसमूह की ड्राफ्ट रिपोर्ट के संदर्भ की शर्तों के विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया और ड्राफ्ट रिपोर्ट के कुछ अनुच्छेदों को संशोधित किया गया।

कार्यसमूह की मसौदा रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए परियोजनाओं के लिए स्वीकार्य लाभ लागत अनुपात को 1.25 तक लाया गया है। इसके अलावा, जहां कृषि कमान क्षेत्र 50% या उससे अधिक सूखा प्रवण क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, आकांक्षात्मक जिलों या बुंदेलखंड, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्रों, ओडिशा के केबीके क्षेत्र में स्थित है वहाँ के लिए स्वीकार्य लाभ लागत अनुपात 1.0 होना चाहिए। इसके अलावा, सिंचाई परियोजनाओं के लिए, जहां, कृषि कमान क्षेत्र का 50% से कम क्षेत्र उपरोक्त विशेष श्रेणी के क्षेत्रों में स्थित है, वहाँ लाभ लागत अनुपात को 1.00 से 1.25 के अनुपात में स्वीकार्य माना जाना चाहिए, जो उपरोक्त क्षेत्रों में स्थित परियोजना के कृषि कमान क्षेत्र के % के आधार पर, समानुपातिक माना जाना चाहिए।

परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, राजस्थान का निरीक्षण दौरा

परवन बहुउद्देशीय वृहत सिंचाई परियोजना,में राजस्थान के जिला झालावाड़ में कालीसिंध नदी जो स्वयं चंबल की सहायक नदी है उसकी सहायक नदी परवन पर 38 मीटर ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांध बनाने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना का 43% क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) में शामिल है।

इस परियोजना पर 09.03.2022 को आयोजित जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की स्क्रीनिंग समिति की दूसरी बैठक में विचार किया गया था और परिणामस्वरूप, मार्च 2022 में इसे पीएमकेएसवाई-एआईबीपी में शामिल किया गया था। पूरी परियोजना की नवीनतम स्वीकृत लागत मूल्य स्तर 2014 के आधार पर रु.6398.78 करोड़ (स्थापना की लागत और अन्य विविध शुल्क सहित) है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल घटकों की लागत रु.1832.36 करोड़ है जिसमें कुल केंद्रीय सहायता रु.733.86 करोड़ है।

तत्कालीन सीई (पीएमओ) डॉ एम के सिन्हा के नेतृत्व में के.ज.आ. के अधिकारियों की एक टीम ने 26.05.2022 को परियोजना की पहली निगरानी यात्रा की।

केंद्रीय सहायता

मार्च 2022 में परियोजना के लिए 41.429 करोड़ रुपये की पहली केंद्रीय सहायता जारी करने की मंजूरी दी गई है।

घटकवार समग्र भौतिक प्रगति (अप्रैल 2022)

शीर्ष कार्य	मुख्य नहर	शाखा नहर	लघु वितरिका एवं निर्गम
71.5%	38.16%	-	48.32%

वित्तीय प्रगति

कुल स्वीकृत परियोजना लागत 6398.78 करोड़ रुपये की तुलना में अप्रैल 2022 तक 4465.49 करोड़ रुपये का संचयी व्यय किया गया है।

बांधों और जलाशयों के लिए फ्रांसीसी समिति द्वारा आयोजित 27वीं ICOLD कांग्रेस की बैठक 27 मई से 3 जून, 2022 तक मार्सिले में हुई।

श्री विवेक त्रिपाठी, निदेशक, सीएमडीडी (ईएंडएनई) निदेशालय, तटबंध बांध समिति- बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग(आईसीओएलडी)और कॉफर बांधों पर आईसीओएलडी बुलेटिन 48ए को संशोधित करने के लिए उप-समिति के सदस्य होने के नाते 28.05.2022 को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से एक प्रस्तुति दी। यह प्रस्तुति भूटान मामले के अध्ययन से संबंधित थी जिसका शीर्षक व विषय था-आईसीओएलडी के बांध निर्माण संगोष्ठी के लिए जल प्रबंधन के तहत "पुनत्सांग्छू एचई-आई प्रोजेक्ट के कॉफर बांधों की प्रारंभिक योजना, चुनौतियां और डिजाइन समाधान"।

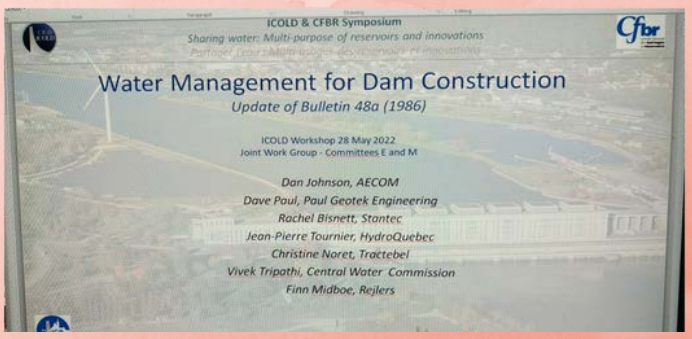

आईसीआईडी आयोजनों के लिए आयोजन समिति की बैठक

25वीं कांग्रेस और 75वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद(आईईसी) के संगठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की योजना और प्रबंधन की देखरेख के लिए अप्रैल, 2022 में एक आयोजन समिति का गठन किया गया था। के.ज.आ., आंध्र प्रदेश सरकार, आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर (एपी) और आईसीआईडी के सक्रिय समर्थन के साथ भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जलनिकास समिति (आईएनसीआईडी) के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जलनिकास आयोग (आईसीआईडी), का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में नवंबर 2023 में होना निर्धारित है। भारत में लगभग 6 दशकों के अंतराल के बाद आईसीआईडी कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है।

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य(डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव ने आयोजन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक दो भागों में 28.04.2022 और 10.05.2022 को ऑनलाइन आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान आयोजनों के लिए स्थल को अंतिम रूप देने, विस्तृत कार्यक्रम की तैयारी, कार्यक्रम का विषय, विजाग की दूसरी यात्रा और 24 जून, 2022 को आईसीआईडी और आईएनसीआईडी के स्थापना दिवस के अवसर पर आईएनसीआईडी अनावरण कार्यक्रम आयोजन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श

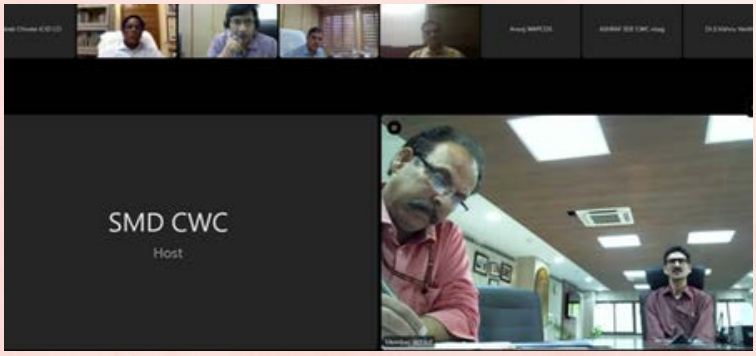

किया गया। समिति ने 25वीं कांग्रेस के लिए विषय, प्रश्न औरउप-प्रश्नों को अंतिम रूप देने के लिए आईसीआईडी अधिकारियों के साथ मिलकर के.ज.आ. में उपयुक्त स्तरों पर विचार-मंथन की आवश्यकता पर विचार किया। आयोजनों के व्यावसायिक प्रबंधन के लिए वैप्कोस की विशेषज्ञता को शामिल करने के बारे में वैप्कोस के प्रतिनिधि के साथ चर्चा की गई।

समिति द्वारा अन्य प्रारंभिक कार्य जिसमें आईएनसीआईडी की वेबसाइट, आईएनसीआईडी लोगो का निर्माण और स्थल बुक करने के लिए विजाग की अगली यात्रा तथा अन्य आवश्यकताओं की पहचान कर उसे अंतिम रूप देने पर भी चर्चा की गई।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की पहली बैठक

श्री जे.चंद्रशेखर अय्यर, अध्यक्ष, रा.बां.सु.प्रा. और सदस्य (डीएंडआर), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में 19.05.2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (रा.बां.सु.प्रा. (एनडीएसए)) की पहली बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में रा.बां.सु.प्रा. के सभी सदस्यों- सदस्य (प्रशासन और वित्त), रा.बां.सु.प्रा. (एनडीएसए)-सुश्री ऋचा मिश्रा, जेएस एंड एफए, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग; सदस्य(तकनीकी), और सदस्य (आपदा प्रतिरोधी), रा.बां.सु.प्रा.-श्री एस.के.सिब्बल सीई, डिजाइन (एनएंडडब्ल्यू), के.ज.आ; सदस्य(नीति और अनुसंधान), रा.बां.सु.प्रा.-श्री गुलशन राज, सीई, डीएसओ, के.ज.आ.और सदस्य (विनियमन), रा.बां.सु.प्रा.-श्री विजय सरन, सीई, डिजाइन (ईएंडएनई), के.ज.आ, श्री एस.एस.बख्शी, निदेशक (डीएसएम), के.ज.आ.ने भाग लिया।

रा.बां.सु.प्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों- श्री आर.थंगमणि, निदेशक(एमओएन), सीएंडएसआरओ, के.ज.आ, चेन्नई (दक्षिणी क्षेत्र,रा.बां.सु.प्रा.का प्रतिनिधित्व); श्री भूपेश कुमार, एसई (सी),आईबीओ, के.ज.आ, चंडीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र, रा.बां.सु.प्रा. का प्रतिनिधित्व); श्री सुधीर कुमार, निदेशक (एम एंड ए), बीबीओ, के.ज.आ, गुवाहाटी (पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र रा.बां.सु.प्रा. का प्रतिनिधित्व करते हुए) और श्री उम्बेरजे हरीश गिरीश,

निदेशक(एम ओ एन) एमसीओ, के.ज.आ, नागपुर (पश्चिमी क्षेत्र रा.बां.सु.प्रा का प्रतिनिधित्व) ने भी बैठक में भाग लिया।

श्री ओ.पी.गुप्ता, निदेशक, बांध सुरक्षा डिजाइन निदेशालय-II, के.ज.आ. और एनडीएसए सचिवालय ने विभिन्न एजेंडा मदों पर प्रस्तुति दी। बैठक में रा.बां.सु.प्रा. के विभिन्न सदस्यों की भूमिका एवं कार्यों के संबंध में चर्चा की गई, प्राधिकरण संगठन चार्ट का प्रारूप प्रस्तुत किया गया तथा सदस्यों को प्राधिकरण के व्यय संबंधी विभिन्न प्रावधानों के बारे में भी अवगत कराया गया। यह निर्णय लिया गया कि अधिनियम के तहत, धर्म सॉफ्टवेयर में डेटाबेस को भरने और अद्यतन करने में तेजी लाने के लिए रा.बां.सु.प्रा. बांध मालिकों को संबोधित करेगा।

जल क्षेत्र -समाचार

- जल संरक्षण के लिए करने होंगे सामूहिक प्रयास : केंद्रीय मंत्री (द पायनीर, 02.05.2022)
- यमुना में रोज ढाई करोड़ लीटर गंदा पानी गिरने से रोकेगी सरकार (राष्ट्रीय सहारा, 06.05.2022)
- प्रयागराज से हल्दिया तक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना को मंजूरी (जनसत्ता, 08.05.2022)
- जल जीवन मिशन की समयबद्धता को लेकर सीएम योगी सख्त (राष्ट्रीय सहारा, 09.05.2022)
- सीपीसीबी की रिपोर्ट : देश की 323 प्रदूषित नदियों में 5 छत्तीसगढ़ की — ऊपर मैल और नीचे जहर (राजस्थान पत्रिका, 13.05.2022)
- पर्यावरण बचाने के लिए यूरोप में नदियों पर बने 239 बांध हटाए (हिन्दुस्तान, 18.05.2022)
- देश में भीषण गर्मी से 140 बड़े बांधों में से 60 का पानी घटा (राजस्थान पत्रिका, 21.05.2022)
- जैविक खेती और वनीकरण से स्वच्छ होगी गंगा (द पायनीर, 24.05.2022)
- उत्तराखंड सुनिश्चित करे, गंगा में न जाए अनुपचारित कचरा : एनजीटी (अमर उजाला, 26.05.2022)
- गुजरात के कुल 206 प्रमुख बांधों में औसतन 40 फीसदी से भी कम बचा है जल संग्रह (राजस्थान पत्रिका, 30.05.2022)

भदभूत बैराज परियोजना, गुजरात के कार्यों की प्रगति की समीक्षा

नर्मदा नदी के मुहाने पर भदभुत बैराज बनाने की योजना है। प्रस्तावित बैराज 1.65 किमी लंबा है और यह 6-लेन रोड-ब्रिज को समायोजित करेगा। इसमें स्पिलवे के लिए 15.5 मीटर(चौड़ाई)x10.5 मीटर (ऊंचाई)आकार के 89 ऊर्ध्वाधर स्थायी पहिया फाटक (वर्टिकल फिक्स्ड व्हील गेट्स) और नेविगेशन के लिए 18 मीटर (चौड़ाई)x 10.5 मीटर (ऊंचाई) आकार का एक ऊर्ध्वाधर स्थायी पहिया फाटक(वर्टिकल फिक्स्ड व्हील गेट) है।

श्री सतीश कंबोज, निदेशक, गेट डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय और श्री विवेक जौहरी, उप निदेशक, बीसीडी(एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय ने अन्य अधिकारियों के साथ 05-06 मई, 2022 के दौरान भदभुत बैराज परियोजना का दौरा किया और साइट पर किए जा रहे सिविल और यांत्रिक कार्यों का निरीक्षण किया। दौरे में मुख्य अभियंता, भदभुत बैराज परियोजना और सचिव, जल संसाधन

विभाग, गुजरात सरकार के साथ विचार-विमर्श भी शामिल है। साइट पर यांत्रिक कार्यशाला के निरीक्षण के दौरान फील्ड इंजीनियरों द्वारा उठाई गई विभिन्न समस्याओं जैसे प्लानर की सीमित क्षमता का समाधान प्रदान किया गया। एम्बेडेड भागों की जिंक विलेपन की प्रक्रिया का भी निरीक्षण किया।

ड्रिप चरण-II और चरण-III के तहत बांध सुरक्षा में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की स्थिति

ड्रिप चरण-II और चरण-III के लिए ईएफसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, बांध सुरक्षा के लिए दो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने है। ये उत्कृष्टता केंद्र जटिल बांध सुरक्षा मुद्दों को बताने में बांध मालिकों को आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करेंगे। इन उत्कृष्टता केंद्र को आईआईटी रुड़की और आईआईएससी, बैंगलोर में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार दी गई है:

I. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी),रुड़की:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) हेतु पहला मसौदा प्रस्ताव (627 करोड़ रुपये) अक्टूबर, 2020 में के.ज.आ. को प्रस्तुत किया। सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) ने 22 सितंबर, 2021 को इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। यह अपेक्षा की गई थी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की आधिकारिक सुझावों और सीपीएमयू ड्रिप के साथ संयुक्त परामर्श के आधार पर प्रस्ताव को अंतिम रूप दे। इसके बाद, सीपीएमयू और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा जमा किए गए चार ड्राफ्ट पर समीक्षा/चर्चा के चार दौर आयोजित किए गए। हर बार पिछले मसौदे पर सुझाव दिए गए। सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ. ने सीओई के संबंध में 25 मई, 2022 को एक समीक्षा बैठक की, जिसमें सीई, डीएसओ द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई।भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने आईसीईडी का 101 करोड़ रुपये अंतिम प्रस्ताव 24 मई, 2022 को मंत्रालय को जमा किया। समझौता ज्ञापन (एमओए) ड्राफ्ट भी 02 जून, 2022 को प्रस्तुत किया गया। समझौता ज्ञापन के साथ अंतिम आईसीईडी प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजने से पहले के.ज.आ. में परीक्षाधीन हैं।

II. भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बैंगलोर

केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई, विश्व बैंक और भारतीय विज्ञान संस्थान टीमों की चर्चा का पहला दौर 9 दिसंबर, 2021 को भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर में आयोजित किया गया था। कामकाज के क्षेत्रों पर सैद्धांतिक सहमति बनी। इस बात पर सहमति बनी कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के इलाके शामिल नहीं होंगे। भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर के साथ एक आभासी बैठक 24.02.2022 को आयोजित की गई जिसमें कार्य के अंतिम क्षेत्रों पर विस्तार से विचार किया गया। भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा यह सूचित किया गया कि आधिकारिक प्रस्ताव मई, 2022 में प्रस्तुत किया जाएगा।

भारतीय विज्ञान संस्थान से मसौदा प्रस्ताव अभी भी प्रतीक्षित है, मंत्रालय ने डीओ पत्र दिनांक 01.06.2022 के द्वारा निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान से लंबित प्रस्ताव को शीघ्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

तमिलनाडु में ड्रिप चरण II की प्रगति और चेन्नई में NDSA से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक

के.ज.आ. ने तमिलनाडु जल संसाधन विभाग और टैंजेडको में ड्रिप चरण-II के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। तमिलनाडु जल संसाधन विभाग और टैंजेडको की प्रगति समीक्षा बैठक श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर) के.ज.आ. , नई दिल्ली की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता कार्यालय, तमिलनाडु जल संसाधन विभाग, चेपौक, चेन्नई के समिति कक्ष में 27.05.2022 को आयोजित की गई थी। श्री संदीप सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तमिलनाडु जल संसाधन विभाग, तमिलनाडु सरकार, श्री गुलशन राज, सीई (सीडीएसओ) और परियोजना निदेशक, ड्रिप चरण-II और चरण-III,के.ज.आ., नई दिल्ली, इंजीनियर-इन-चीफ, तमिलनाडु जल संसाधन विभाग, श्री समीर कुमार शुक्ला, निदेशक (एफई एंड एसए), के.ज.आ. श्री सी.रमेश, मुख्य अभियंता, एसपीएमयू-ड्रिप, टैंजेडको, श्री शिवकुमार, परियोजना निदेशक, एसपीएमयू-ड्रिप, तमिलनाडु जल संसाधन विभाग, पी. चंद्रमोहन, परियोजना निदेशक, एसपीएमयू-ड्रिप, टैंजेडको, श्री प्रभात कुमार, उप निदेशक, FE&SA निदेशालय, एसपीएमयू-ड्रिप चरण-II और III, नई दिल्ली, और तमिलनाडु जल संसाधन विभाग और टैंजेडको के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

तमिलनाडु जल संसाधन विभाग और टैंजेडको के तहत बांधों पर चल रहे पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई और पुनर्वास कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. ने तमिलनाडु जल संसाधन विभाग और टैंजेडको की प्रगति की सराहना की। उन्होंने हाल ही में पारित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत की जाने वाली अनिवार्य कार्रवाइयों पर भी जोर दिया अर्थात बांध सुरक्षा पर राज्य समिति (एससीडीएस) और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ की स्थापना जिन्हें 30.06.2022 तक अधिसूचित किया जाना है।

देश में बाढ़ की स्थिति - मई, 2022

नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि ब्रह्मपुत्र, बराक और झेलम घाटियों में 01.05.2022 को शुरू हुई। 01 मई से 31 मई 2022 की अवधि के दौरान, 268 बाढ़ पूर्वानुमान (261 स्तर और 7 अंतर्वाह) जारी किए गए थे, जिनमें से 263 (258 स्तर और 5 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 98.13 प्रतिशत तक सटीकता की सीमा के भीतर थे। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मई माह में 49 रेड बुलेटिन (अत्यधिक बाढ़ की स्थिति के लिए) और 61 ऑरेंज बुलेटिन (बाढ़ की गंभीर स्थिति के लिए) जारी किए गए।

01.05.2022 से 31.05.2022 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

अत्यधिक बाढ़ की स्थिति:

एक एफएफ स्टेशन ने इस दौरान चरम बाढ़ की स्थिति देखी।

क्र.सं	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1.	असम	नगांव	कोपिली	कामपुर	15/05/2022 1600 बजे	21/05/2022 2000 बजे

किसी भी बाढ़ निगरानी केंद्र ने इस दौरान गंभीर बाढ़ की स्थिति नहीं देखी।

एफएफ स्टेशनों के लिए गंभीर बाढ़ की स्थिति:

असम राज्य में 7 एफएफ स्टेशनों ने गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी।

सामान्य बाढ़ की स्थिति से ऊपर

असम में 11 एफएफ स्टेशनों ने सामान्य बाढ़ की स्थिति से ऊपर की स्थिति देखी।

सीमा से अधिक प्रवाह वाले जलाशय:

कर्नाटक और तमिलनाडु में 2 जलाशयों ने अपनी प्रारंभिक सीमा से अधिक जल प्राप्त किया।

विशेष बाढ़ स्थिति रिपोर्ट सह परामर्श

इस दौरान केरल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए एक विशेष बाढ़ स्थिति रिपोर्ट सह परामर्श जारी किया गया।

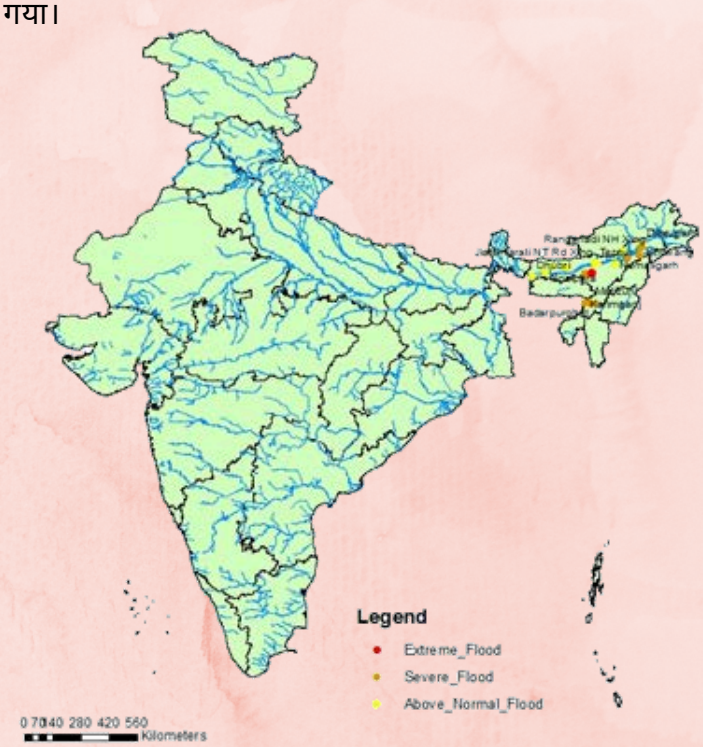

बांध/परियोजना का निरीक्षण/क्षेत्रीय दौरा

यूएचएल-III, हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (एच.ई.पी), हिमाचल प्रदेश

यूएचएल-III, हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना(एच.ई.पी) (3x33.33= 100MW) की परिकल्पना ब्यास नदी की सहायक नदियों के पानी को मोड़कर बिजली उत्पन्न करने और बिजली उत्पादन के बाद पानी को वापिस ब्यास नदी में प्रवाहित करने को लेकर की गई है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर जिले में स्थित है और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबीएल) द्वारा विकसित की जा रही है। परियोजना को एक विशेष प्रयोजन के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। ब्यास वैली पावरकॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीपीसीएल) और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) डिजाइन की समीक्षा के लिए डिजाइनर के रूप में काम कर रहे हैं। 17.05.2020 को 50% क्षमता पर चल रही पहली इकाई के परीक्षण(लोड रिजेक्शन) के दौरान परियोजना का पेनस्टॉक फट गया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, शिमला ने पेनस्टॉक के हाइड्रोलिक और स्ट्रक्चरल डिजाइन जो बहाली/सुधार के अधीन है पर के.ज.आ से सलाह देने के लिए अनुरोध किया।

इस संबंध में, नरेंद्र सिंह शेखावत, निदेशक और एम.एस. हर्षिता, उप निदेशक, एचसीडी (एन एंड डब्ल्यू) द्वारा 04.05.2022 से 06.05.2022 तक परियोजना स्थल का दौरा किया गया। परियोजना स्थल के दौरे में बीवीपीसीएल अधिकारियों, मैसर्स पी एंड आर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि (पेनस्टॉक की बहाली/ प्रतिस्थापन के लिए नियुक्त ठेकेदार और डिजाइन सलाहकार) और एचपीपीसीएल के डिजाइनर शामिल थे।

विभिन्न घटकों के दौरों के दौरान, पेनस्टॉक खोल विदरण व्यवहार, प्रसार जोड़ों के कार्य, तापीय दबाव, रिंग गर्डर आधार की निषदन सुग्राहिता, वलय कड़ी आधार का निर्माण अनुक्रम, वलय कड़ी बोल्ट

विफलता की घटनाएं, लंगर खंड का निर्माण, विभिन्न पेनस्टॉक प्रवणता और पेनस्टॉक खोल तन्यता व अन्य तकनीकी पहलू संरेखण में कमी पर विस्तृत चर्चा की गई।

साइट के दौरे के आधार पर, के.ज.आ ने तकनीकी टिप्पणियों और सिफारिशों से अवगत कराया। तापीय दबाव के पहलु, द्वितीय चरण के ठोस बंदोबस्त, आधार नींव की विलक्षणता, निर्माण गुणवत्ता के मुद्दे, भू-तकनीकी बंदोबस्त की संभावनाएं और कोई अन्य कारण जिससे व्यवस्था विफल हुई हो का मूल्यांकन करने के लिए कुछ और जांच तथा अध्ययन का भी सुझाव दिया गया है।

सरदार सरोवर बांध परियोजना, गुजरात

श्री गुलशन राज, सीई (डीएसओ) और श्री सतीश कंबोज, निदेशक, गेट डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय ने के.ज.आ की विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों के कार्यान्वयन में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सामना की जा रही समस्या के संबंध में दिनांक 04.05.2022 को सरदार सरोवर बांध परियोजना, गुजरात का दौरा किया। के.ज.आ के अधिकारियों ने पावर इनटेक स्टॉपलॉग को काम करने की स्थिति में लाने हेतु कार्य निष्पादन के लिए संशोधनों और कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया।

बेरिनियम एचईपी, जम्मू और कश्मीर

प्रस्तावित बैरिनियम एच.ई. परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की पद्दार घाटी में चिनाब नदी पर स्थित है। भूवैज्ञानिक जांच के दौरान बांध स्थल पर 90 मीटर तक अधिक बोझ पाया गया। अधिक बोझ के परिणाम के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा स्थान को नए स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। के.ज.आ, नई दिल्ली एवं जम्मू और जीएसआई, जम्मू के अधिकारियों द्वारा10-11 मई, 2022 को बांध स्थल के वैकल्पिक स्थान को सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त दौरा किया गया।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण उत्तराखंड के देहरादून जिले में व्यासी एचईपी (120 मेगावाट) के 5 किमी प्रतिप्रवाह यमुना नदी पर किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना से अर्जित होने वाले लाभों में लखवार में बिजली उत्पादन (300 मेगावाट), 33780 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई और घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 78.83 एमसीएम पानी शामिल है। लखवार एफआरएल में, ईएल 796.0m और एमडीडीएल 752.0m पर 588 एमसीएम के सकल भंडारण और 331 एमसीएम पानी के सजीव भंडारण के साथ 204 मीटर ऊंचे कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा 1992 तक काम बंद करने से पहले ही बांध के किनारे लगाने और अंतर्ग्रहण के लिए बेंचिंग, डायवर्जन टनल का निर्माण, पीएच, एडिट्स और कलेक्शन चैंबर का आंशिक उत्खनन किया जा चुका है।

के.ज.आ टीम जिसमें अनिल जैन, निदेशक, सीएमडीडी (एनएंडडब्ल्यू), श्री नरेंद्र सिंह शेखावत, निदेशक, एचसीडी (एनएंडडब्ल्यू), श्री रणधीर कुमार चौधरी, उप निदेशक, सीएमडीडी (एन एंड डब्ल्यू) और श्री अमीर सुहैल, सहायक निदेशक, एचसीडी (एन एंड डब्ल्यू) शामिल थे ने सीईए, जीएसआई और यूजेवीएनएल के अधिकारियों के साथ 24.05.2022 को लखवार बहुउद्देशीय परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) का दौरा किया।

अधिकारियों ने सामान्य रूप से परियोजना क्षेत्र का दौरा किया। यह दौरा विशेषत: पहले से ही खोदे गए बिजलीघर परिसर और संबंधित भूमिगत संरचनाओं को देखने के लिए किया गया था ताकि मौजूदा उत्खनन व पूर्व में किए गए उपायों/समर्थन प्रणाली सहित साइट की स्थिति और समस्याओं को समझा जा सके। टीम ने 25.05.2022 को यूजेवीएन लिमिटेड कार्यालय, देहरादून में परियोजना अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की।

पर्यवेक्षी समिति द्वारा मुल्ला पेरियार बांध निरीक्षण

मुल्लापेरियार बांध पर्यवेक्षी समिति ने 09.05.2022 को मुल्लापेरियार बांध का निरीक्षण किया। श्री गुलशन राज, मुख्य अभियंता, बांध सुरक्षा संगठन, के.ज.आ की अध्यक्षता में डॉ. संदीप सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, तमिलनाडु सरकार, श्री टी. के. जोस, अतिरिक्त मुख्य सचिव डब्ल्यूआरडी, केरल सरकार, श्री आर.सुब्रमण्यन, अध्यक्ष, सीटीसी सह आईएसडब्ल्यूडब्ल्यू, तमिलनाडु सरकार और श्री एलेक्स वर्गीज, मुख्य अभियंता (आईएंडए) सिंचाई विभाग, केरल सरकार के सदस्यों के साथ पर्यवेक्षी समिति द्वारा निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान के.ज.आ, तमिलनाडु सरकार और केरल सरकार के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। निरीक्षण में बांध के सभी घटक जैसे मुख्य बांध, मिट्टी का तटबंध, बेबीडैम, गैलरी, जलविद्युत घटक आदि शामिल थे। बांध के निरीक्षण और राज्य के अधिकारियों से चर्चा के दौरान समिति के संज्ञान में लाया गया कि बांध को खतरे का कोई खास संकेत नहीं मिला।

अन्नामय्या बांध, आंध्र प्रदेश

19.11.2021 को अन्नामय्या बांध, आंध्र प्रदेश में बांध के टूटने/भंग होने की घटना हुई थी। इस मामले को माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उठाया गया और यह निर्णय लिया गया कि के.ज.आ विफलता के कारणों की जांच करेगी। तदनुसार, सदस्य (डी एंड

आर), सीडब्ल्यूसी के अनुमोदन से, सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों की एक टीम जिसमें निदेशक तटबंध (एनडब्ल्यू एंड एस), निदेशक गेट्स (एनडब्ल्यू एंड एस) और उप निदेशक, डीएसएम शामिल थे, को बांध की विफलता के कारणों की जांच के लिए साइट पर प्रतिनियुक्त किया गया था। टीम ने 23.05.2022 को परियोजना स्थल का दौरा किया। रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जल्द ही सौंप दी जाएगी। परियोजना अधिकारियों ने बताया कि 18.11.2021 और 19.11.2021 को भारी अंतर्वाह (स्पिलवे क्षमता से अधिक) के कारण, जलाशय के प्रतिप्रवाह की ओर पानी मुंडेर की दीवार के ऊपर आ गया, जिससे मिट्टी का बांध पूरी तरह से मिट गया।

मई-2022 माह के दौरान एनएचपी के लिए प्रगति/नोट

क्र.सं.	वस्तु	वर्तमान स्थिति
1.	नए ध्वनिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर (एडीसीपी) की खरीद	29 में से 27 एडीसीपी की आपूर्ति स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग पूरी कर ली गई है। 50 एडीसीपी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए खरीद अनुबंध 23-05-2022 को मैसर्स ए एंड एस क्रिएशन को दिया गया है।
2.	वेग राडार	19 वेलोसिटी रडार सिस्टम की खरीद का अनुबंध मैसर्स पैन इंडिया कंसल्टेंट प्रा लिमिटेड को दी गई
3.	आउट बोर्ड (ओबी) इंजन	45 (ओबी) इंजन की "आपूर्ति स्थापना, परीक्षण और" कमीशनिंग के लिए पुनः निविदा प्रक्रियाधीन है।
4.	कुल स्टेशन	कुल 33 स्टेशनों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और रखरखाव के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है।
5.	हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का उपयोग कर जलाशय अवसादन अध्ययन	चरण- I (32 जलाशयों) के लिए कार्य जनवरी, 2021 में प्रदान किया गया है। भारत में अतिरिक्त 87 जलाशयों के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए जलाशय अवसादन अध्ययन के लिए गैर-परामर्श खरीद का कार्य प्रक्रियाधीन है
6.	गंगा बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान सहित प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली	इस के लिए अनुबंध पर 11.08.2021 को हस्ताक्षर किए गए। सलाहकार द्वारा आरंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उसकी जांच की जा रही है।
7.	विस्तारित जलविज्ञान पूर्वानुमान (ईएचपी) का परामर्शी कार्य	परामर्श कार्य प्रदान किया गया। दूसरी सुपुर्दगी अर्थात डेटा संकलन रिपोर्ट परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत की गई है और उसकी जांच की जा रही है।
8.	बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन	परामर्शदात्री सेवाएं मार्च, 2021 में प्रदान की गई थी। स्थापना रिपोर्ट (पहली प्रदेय) और डेटा संकलन रिपोर्ट (दूसरी प्रदेय) को स्वीकार कर लिया गया है और इसके लिए भुगतान कर दिया गया है।
9.	जल गुणवत्ता उपकरणों की आपूर्ति (जीसीएमएस और आईसीपी-एमएस)	वितरण कर दिया गया है और स्थापना, परीक्षण और सभी उपकरणों की कमीशनिंग पूरी कर ली गई है। उसी के लिए नई लैब हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।
10.	नर्मदा बेसिन में वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली	अगस्त16 एआरजी स्टेशनों और 16 एडब्ल्यूएलआर पर वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली को लगाने का काम पूरा हो गया है।
11.	अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली	नवंबर, 2020 में अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। डेटा केंद्र स्थापित किए गए है। 20 स्टेशनों पर वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली को लगाने का काम पूरा हो गया है।

31.05.2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2022-23	व्यय	व्यय(%में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	185.000	12.237	6.61%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	8.000	0.884	11.05%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	23.203	1.494	6.44%
4	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.15	0.000	0.00%
5	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	33.700	0.026	0.076%
6	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II	100.00	0.040	0.04%

ड्रिप चरण II की तकनीकी समिति की पहली बैठक

सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए तकनीकी समिति (टीसी) की पहली बैठक ड्रिप चरण II को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11.05.2022 और 17.05.2022 को दो बैठकों में आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान, एजेंसियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति, डीईए की परियोजना तैयारी मानदंड, धर्मा, एससीडीएस की अधिसूचना, एसडीएसओ के गठन और ड्रिप के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) के गठन पर जोर देने के साथ सीपीएमयू और एसपीएमयू द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिए गए। बैठक में के.ज.आ, विश्व बैंक, डीआरआई कार्यान्वयन एजेंसियों और शैक्षणिक एवं

अनुसंधान संस्थानों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राजस्थान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को विश्व बैंक द्वारा पर्यावरण और सामाजिक (ईएंडएस) प्रशिक्षण दिया गया

विश्व बैंक की पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा टीम ने राजस्थान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए ईएंडएस सुरक्षा उपाय पर 30.05.2022 को जयपुर, राजस्थान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया इसके बाद 31.05.2022 को बीसलपुर बांध का फील्ड दौरा। विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने ईएंडएस सुरक्षा उपायों के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जिसमें पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन ढांचा (ईएसएमएफ), पर्यावरण और सामाजिक प्रतिबद्धता सहित योजना (ईएससीपी), स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट फ्रेमवर्क (एसईएफ) और दो बांध विशिष्ट दस्तावेज अर्थात पर्यावरण और सामाजिक उचित परिश्रम (ईएसडीडी) और पर्यावरण और

सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी) शामिल है। कार्यक्रम में संयुक्त रूप से व्याख्यान, केस स्टडी और इंटरैक्टिव सत्र थे।

गैलरी/आज़ादी का अमृत महोत्सव

श्री संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव (आरडीएंडपीपी), जल शक्ति मंत्रालय, आरडी एंड जीआर ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित प्रदर्शन और गतिविधियों की समीक्षा के लिए 09.05.2022 को जलासौधा, के.ज.आ, बैंगलोर का दौरा किया।

सूरत में तापी नदी बेसिन प्रबंधन योजना की तैयारी के संबंध में चर्चा के लिए भारत यूरोप जल भागीदारी (IEWP) के विशेषज्ञों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी।

नई दिल्ली में स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक

नर्मदा बेसिन संगठन, भोपाल, म.प्र. विज्ञान एवं प्रद्योगिकी परिषद एवं नर्मदा समग्र द्वारा दिनांक 18.05.2022 एवं 19.05.2022 को भोपाल, म.प्र. में माननीय श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, केन्द्रीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय एवं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश के उपस्थिति में नदी उत्सव 2022 का आयोजन किया गया

आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिज्ञा महानदी एवं पूर्वी नदियां संगठन , भुवनेश्वर

ढाका में 78वीं भारत-बांग्लादेश संयुक्त समिति की बैठक

डेटा कॉर्नर-प्रति व्यक्ति 2025 और 2050 के दौरान भारत में पानी की औसत वार्षिक उपलब्धता

क्र.सं.	नदी बेसिन	वार्षिक औसत जल संसाधनक्षमता(बीसीएम) $	अनुमानित जनसंख्या (दसलाख)#		अनुमानित प्रति व्यक्ति औसत जल उपलब्धता (घन मीटर)	
			2025	2050	2025	2050
1	2	3	4	5	6	7
1.	सिंधु (सीमा तक)	45.53	69.2	81.41	657.95	559.27
2.	गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना					
	क. गंगा	509.52	593.04	697.69	859.17	730.30
	ख. ब्रह्मपुत्र	527.28	48.06	56.54	10971.29	9325.79
	ग. बराक एवं अन्य	86.67	10.24	12.05	8463.87	7192.53
3.	गोदावरी	117.74	89.18	104.92	1320.25	1122.19
4	कृष्णा	89.04	100.41	118.13	886.76	753.75
5	कावेरी	27.67	48.39	56.93	571.81	486.04
6	सुबर्णरेखा	15.05	15.52	18.26	969.72	824.21
7.	ब्राह्मनी एवं बैतरनी	35.65	16.18	19.04	2203.34	2203.34
8	महानदी	73	43.93	51.68	1661.73	1412.54
9	पेन्नार	11.02	16.02	18.85	687.89	584.62
10	माही	14.96	17.34	20.4	862.75	733.33
11	साबरमती	12.96	17.34	20.4	747.40	635.29
12	नर्मदा	58.21	24.28	28.56	2397.45	2038.17
13	तापी	26.24	24.44	28.75	1073.65	912.70
14	तापी से तादरी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	118.35	42.61	50.13	2777.52	2360.86
15	तादरी से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ	119.06	53.84	63.34	2211.37	1879.70
16	महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व में बहने वाली नदियाँ	26.41	38.97	45.85	677.70	576.01
17	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व में बहने वाली नदियाँ	26.74	74.32	87.43	359.80	305.84
18	लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम में बहने वाली नदियाँ	26.93	36.5	42.94	737.81	627.15
19	राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी का क्षेत्र		11.73	13.79		
20	म्यांमार (बर्मा) और बांग्लादेश की ओर बहने वाली छोटी नदी	31.17	2.48	2.91	12568.55	10711.34
कुल		1999.2	1394.02	1640	1434.13	1219.02

स्रोत: बी.पी. निदेशालय, के.ज.आ, जल शक्ति मंत्रालय

के.ज.आ के $:अंतरिक्ष इनपुट 2019, का उपयोग करके भारत में पानी की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन।

#: देश में विविध उपयोगों के लिए पानी की उपलब्धता और आवश्यकता के आकलन के लिए स्थायी उप-समिति की रिपोर्ट, अगस्त, 2000

जलाशय निगरानी

के.ज.आ साप्ताहिक आधार पर देश के 140 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 45 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत लाभ है। इन 140 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 175.957 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 68.25% है।

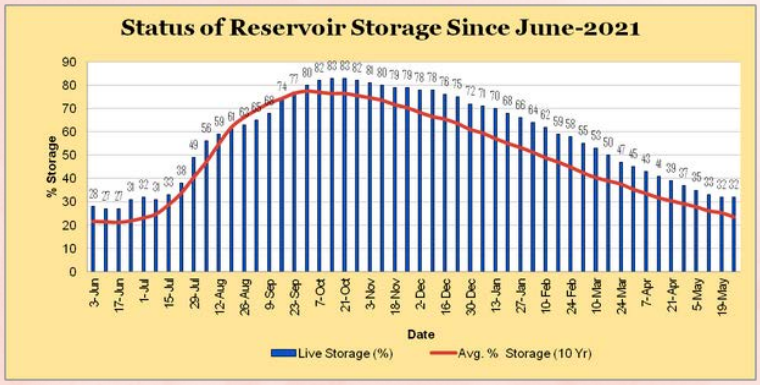

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 26.05.2022 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 56.398 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 32 प्रतिशत है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल सजीव भंडारण 52.026 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों के सजीव भंडारण का औसत 41.332 बीसीएम था। इस प्रकार, दिनांक 26.05.2022 के बुलेटिन के अनुसार 140 जलाशयों में उपलब्ध सजीव भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सजीव भंडारण का 108 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत सजीव भंडारण का 136 प्रतिशत है।

इतिहास- कड़ाना जलाशय परियोजना

गुजरात राज्य में समय-समय पर अकाल और/या अभाव की स्थिति का एक बड़ा क्षेत्र था। लगातार कमी और अकाल की स्थिति ने राज्य के उपलब्ध जल संसाधनों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया। माही नदी राज्य से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में सरदारपुर गाँव के पास विंध्य पहाड़ियों में से होता है और इस राज्य में लगभग 167 किमी (104 मील) तक बहती है। इसके बाद यहपड़ोसी राज्य राजस्थान में लगभग 174 किमी (108 मील) तक बहती है और राजस्थान में भुकिया गाँव से थोड़ा नीचे गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। यह पंचमहल और कैरा जिलों से होकर गुजरती है और राज्य से 242 किमी (150 मील) की अपनी

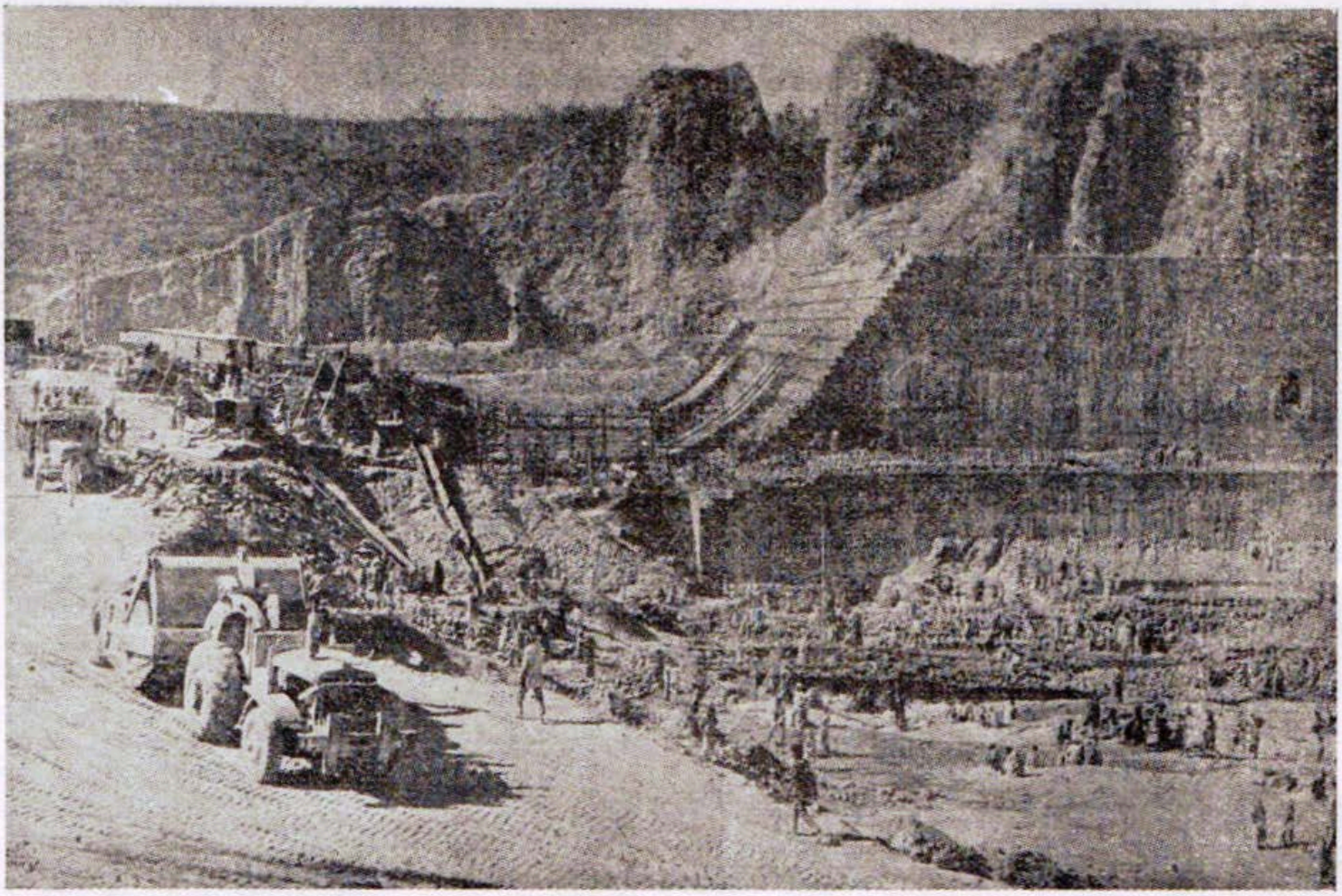

KADANA RESERVOIR PROJECT in Gujarat envisages the construction of a masonry dam, 61 m (200 ft) high and 106.14 m (348 ft) long, across the Mahi river about 70.8 km (44 mile) upstream of the Wanakbori weir and left bank canal taking off from it. Estimated to cost Rs 51.68 crore, the project will ultimately provide irrigation to 336 842 hn (832 350 acre) and generate 240 kW of Power. The dam and appurtenant works are planned to be completed by 1976. Spillway portion of the dam is seen here under construction.

पश्चिम की यात्रा के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है।

माही परियोजना

वर्ष 1900 के भीषण अकाल के बाद वर्ष 1905 से ही माही नदी के जल संसाधनों के उपयोग के लिए अन्वेषण किए जा रहे थे। 1948 में माही परियोजना को दो चरणों में करने का निर्णय लिया गया।

चरण- I

वर्ष 1900 के भीषण अकाल के बाद वर्ष 1905 से ही माही नदी के जल संसाधनों के उपयोग के लिए अन्वेषण किए जा रहे थे। 1948 में माही परियोजना को दो चरणों में करने का निर्णय लिया गया।

चरण-II

चरण-II में पंचमहल जिले के संतरामपुर तालुका में कड़ाना गाँव के पास माही नदी के पार भंडारण जलाशय और वहाँ से सीधी बायीं तट नहर शामिल है।

माही परियोजना चरण-I विकास के विभिन्न स्तरों से गुजरा है। उचित मौसम न होने के कारण परियोजना के चरण-I में नदी में निर्वहन उतना प्रभावी नहीं हो सका जितना होना चाहिए, विशेष रूप से कमी और अकाल वर्ष में। इसलिए, भंडारण जलाशय की आवश्यकता गंभीर रूप से महसूस की गई। अतः चरण-II का विकास इसलिए सक्रिय विचार के लिए हुआ था। कड़ाना गांव में प्रस्तावित बांध पड़ोसी राजस्थान राज्य में कुछ जलमग्नता से जुड़ा था। जलमग्नता के प्रासंगिक मुद्दों और बांध से होने वाले लाभों का अध्ययन करने के बाद योजना आयोग ने 1966 में इस परियोजना को मंजूरी दे दी।

जल विद्युत

1972 में योजना आयोग द्वारा जलविद्युत भाग को भी मंजूरी दे दी गई थी। यह हमारे देश में प्रतिवर्ती टर्बाइनों वाला पहला पावर स्टेशन था। इस परियोजना से बहुत कम स्थायी बिजली उपलब्ध थी; लेकिन बिजली की मांग में बड़े उतार-चढ़ाव को पूरा करने के लिए और चरम मांग को भी पूरा करने के लिए, बिजली घर में 60-60 मेगावाट के 4 टर्बाइन लगाए गए थे। ये टर्बाइन पावर ग्रिड में जरूरत पड़ने पर बिजली पैदा करते थे और जब बिजली अधिक हो जाती तो वे डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम तक पानी पंप करने के लिए पंप के रूप में काम करते थे।

कड़ाना बांध

कड़ाना बांध एक समग्र बांध है जिसमें 621.5 मीटर (2 038 फीट) चिनाई अधिप्रवाह और गैर-अधिप्रवाह भाग है। चिनाई बांध की लंबाई में बिजली बांध की 106.14 मीटर (348 फीट) लंबाई शामिल है। यह स्पिलवे और बाएं संक्रमण के बीच स्पिलवे के बाएं किनारे पर स्थित है।

चिनाई वाले बांध की अधिकतम ऊंचाई नींव के स्तर से 61 मीटर (200 फीट) ऊपर है जबकि मृदा बांध औसत जमीनी स्तर से 32.94 मीटर (108 फीट) ऊपर है।

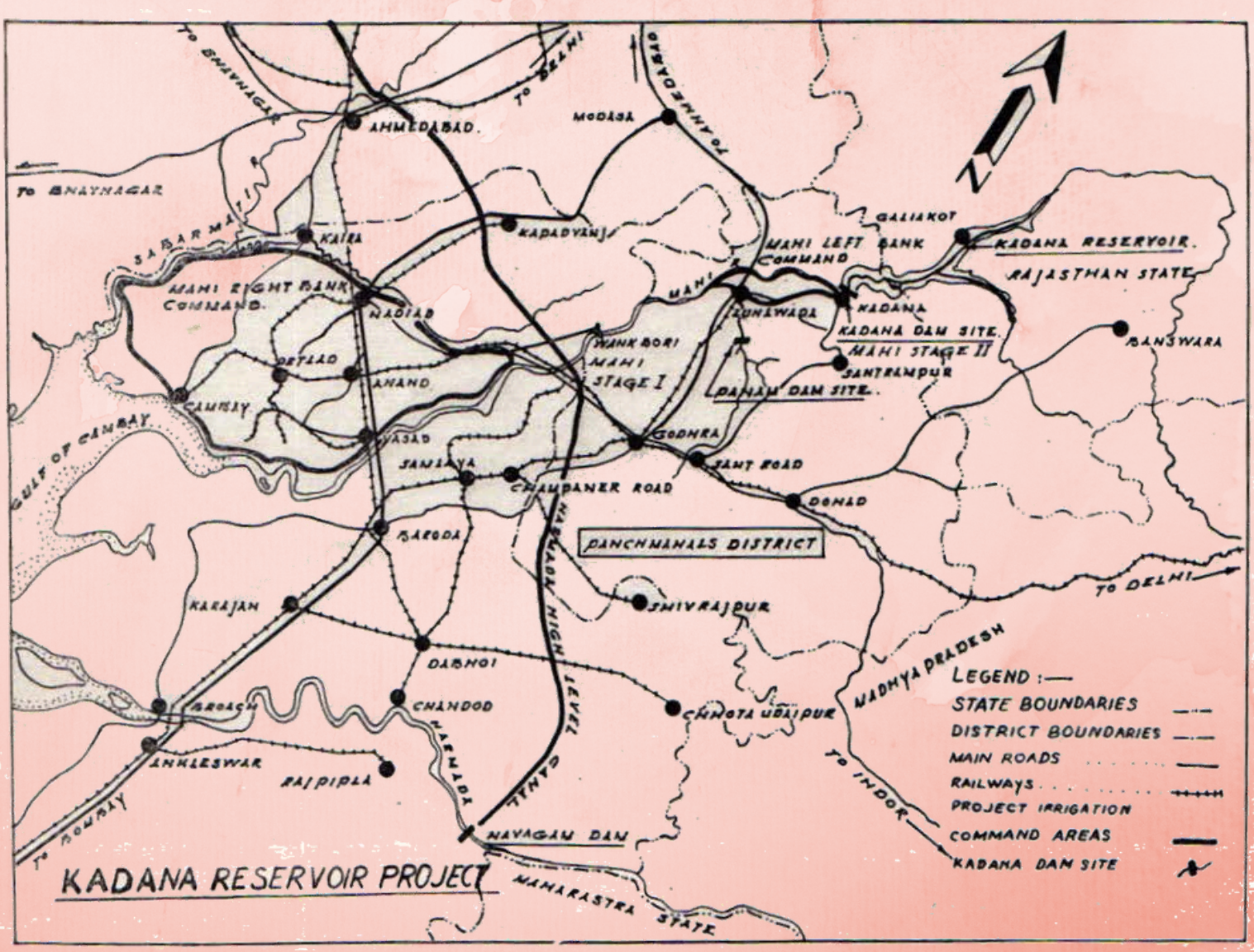

स्पिलवे के शिखर पर 15.55 मीटर x14.8 मीटर (51 फीट x 48.5 फीट) के इक्कीस त्रिज्य कपाट दिए गए हैं। जब पावर हाउस काम नहीं कर रहा है तब सिंचाई हेतु पानी छोड़ने के लिए, स्पिलवे के दाहिने ब्लॉक पर चार बाईपास निर्गम दिए गए हैं।

भूतत्त्व/ भूविज्ञान

बांध स्थल और आसपास के क्षेत्र में चट्टान की नींव अरावली शृंखला से संबंधित है। बांध स्थल के आसपास के क्षेत्र में मुख्य रूप से क्वार्टजाइट्स, फाइलाइट्स, स्लेट, माइका स्किस्ट्स शामिल हैं जो क्वार्टजाइट्स के अंतराल के साथ हैं। चट्टानें मुड़ी हुई हैं। परतें तंग हैं और छोटे विपरीत दोषों में बटी हैं जो भुजाओं को काटती हुई नदी के ऊपर की ओर खिसक रही हैं। क्षेत्र में दोषों के निरीक्षण से पता चला कि दोषों की विशेषताएँ स्थानीय थीं और कतरनी के साथ थीं। जांच चरण में यह कई दोषों का पर्याप्त संकेत था। इसलिए, नींव को बहुत सावधानी से बनाया गया है। यहां तक कि प्रत्येक ब्लॉक में नींव स्तर और उपचार का निर्णय लेने से पहले कमजोर विशेषता के छोटे से छोटे दोष को भी पूरी तरह से उजागर किया गया है और उसका पता लगाया गया है। नीचे खिसकने वाले दोष का विशेष रूप से, व्यापक अन्वेषण और उपचार आवश्यक हैं। बांध स्थल में कुल मिलाकर 17 से अधिक दोष पाए गए हैं। इन दोषों में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से और आसपास के दोषों का, सामूहिक रूप से उपचार किया गया है। उपचार में मुख्य रूप से, ट्रेंच उपचार, फॉल्ट जोन की धुलाई और ग्राउटिंग, कमजोर नींव पर ब्लॉकों का समर्थन करने के लिए ब्लॉकों का संयोजन और जहां आवशयक हो, अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए बकेट क्षेत्र में थ्रस्ट ब्लॉक भी शामिल थे। कतरनी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए ड्रिफ्ट की भी योजना बनाई गई थी।

कड़ाना बांध का निर्माण 1968 में शुरू किया गया था। मुख्य बांध हेतु अनुबंध के लंबित निर्धारण के कारण, अग्रिम कार्रवाई और समय बचाने के लिए, तीन चिनाई वाले ब्लॉकों पर काम शुरू किया गया ताकि नदी के पानी को उनके माध्यम से मोड़ा जा सके। साथ ही बायें किनारे पर मृदा बांध के रिसनरोक का निर्माण भी आंशिक रूप से विभागीय और आंशिक रूप से ठेके पर किया गया। उसी साल मुख्य बांध का काम ठेके पर दिया गया था। निर्माण फरवरी 1971 तक ठेके पर चलता रहा, जब यह महसूस किया गया कि कार्य निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रहा है तब, कार्य को वापस ले लिया गया और अक्टूबर 1971 से विभागीय रूप से शुरू कर दिया गया।

नहरें

बाएँ तट नहर प्रणाली के माध्यम से सीधी सिंचाई के लिए बाएँ अंत्याधार के पास मृदा बांध में एक निर्गम प्रदान किया गया है। मुख्य नहर की लंबाई 42 किमी और शाखाओं की लंबाई 168 किमी है। सकल कमान क्षेत्र-21000 हेक्टेयर और कृषि योग्य कमान क्षेत्र 19500 हेक्टेयर है, जबकि सिंचित कमान क्षेत्र 16500 हेक्टेयर है।

कडाना जलाशय परियोजना(विशेषताएं एक नजर में)		
स्थान	गुजरात राज्य के जिला पंचमहल, तालुका संतरामपुर, वनकबोरी वियर के लगभग 70.8 किमी (44 मील) प्रतिप्रवाह पर कड़ाना में माही नदी पर बांध।	
बांध	प्रकार: चिनाई और मृदा लंबाई : 1400 मीटर (4590 फीट) अधिकतम ऊंचाई : 61 मीटर (200 फीट)	
जलाशय	अनुप्रस्थ भंडारण:	1700 मिलियन सह (1.37 मिलियन एकड़ फीट)
	सक्रिय भंडारण:	1300 मिलियन सह (1.05 मिलियन एकड़ फीट)
नहर	बायीं मुख्य नहर : 42 किमी (26 मील)	
लाभ	सिंचाई: 336842 हेक्टेयर (832350 एकड़)बिजली : 4x60 मेगावाट = 240 मेगावाट	
लागत	सिविल वर्क्स: रु. 2550 लाख जल विद्युत : रु. 2618 लाख	

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी & ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी–सी)- सदस्य
- श्री अर्जेश कुमार मधोक, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव
- हिन्दी अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in